डाक मतपत्रों के लिए जाँच-सूची

साधारण निर्वाचन 2014

क्रम सं	आरओएचएबी/विधि/नियम/भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों का पैरा	कार्यकलाप
1	(क) आर ओ एच बी पैरा 10.6 (ख) भारत निर्वाचन आयोग पत्र सं. 52/2012/एम डी आर दिनांक 13.8.2012 (ए) पैरा 2 (क) से 2 (च) (ग) भारत निर्वाचन आयोग पत्र सं. 52/2012/एस डी आर/181-215 दिनांक 13.8.2012 (बी) पैरा 2 (क) से 2 (ङ.) (घ) भारत निर्वाचन आयोग का पत्र सं. 52/2012/एस डी आर/ 181-215 दिनांक 13.8.2012 (x) पैरा 2 (क) से 2 (ङ.)	डाक मत पत्रों की आवश्यकता का मूल्यांकन - प्रायोजक प्राधिकारी से कर्मचारियों के पंजीकरण के ब्यौरों का एकत्रण, उन कर्मचारियों के प्रायोजक प्राधिकारियों से प्ररूप 6 का एकत्रण जो निर्वाचक नामावली में नहीं है, उन कर्मचारियों के लिए ई पी आई सी बनवाना जो रजिस्ट्रीकृत हैं किन्तु जिनके पास ई पी आई सी नहीं है, प्रशिक्षण स्थानों इत्यादि पर तलाश सुविधाओं की व्यवस्था करना।
2	आर ओ एच बी पैरा 10.2,	मुद्रण व्यवस्थाएं- डाक मत-पत्र जिला स्तर पर निजी अथवा सरकारी मुद्रणालय में मुद्रित किए जाने चाहिए। (i) यथोचित देखरेख तथा पूर्णरूपेण सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ मुद्रण - सख्त निगरानी लिए एक ए आर ओ प्रतिनियुक्त करना। (ii) ऐसे निजी मुद्रणालयों की आयोजना तथा पहचान अग्रिम रूप से की जानी चाहिए। (iii) यह सुनिश्चित करना कि समुचित स्लग, नम्बरिंग मशीन इत्यादि मुद्रणालय में उपलब्ध हों।
3	(क) आर ओ एच बी पैरा 10.3, (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 (ग) आर.17,18 (क) एवं (म), 20-21 एवं 27 बी, सीई नियम, 1961	डाक द्वारा मतदान करने के लिए पात्र मतदाताएं- (i) सेवा मतदाताएं (उनकी पत्नियों सहित) - (परोक्षी मतदान करने का विकल्प देने वाले व्यक्तियों को छोड़कर)। (ii) विशेष मतदाताएं - (उनकी पत्नियों सहित) जो घोषित पद- धारण कर रहें हैं (ऐसे घोषित पदों की सूची लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 पर नीचे फुटनोट पर दी गई है)। (iii) निवारक निरोध के अधीन निर्वाचक। (iv) निर्वाचन ड्यूटी पर निर्वाचक - वैसे व्यक्ति एवं कर्मचारी जिन्हें मतदान के दिन निर्वाचनों के संबंध में कोई सरकारी कार्य विनिर्दिष्ट रूप से सौंपा जाता है तथा वे सामान्य मतदान केन्द्रों पर मतदान करने में समर्थ नहीं हैं। इनमें सभी पुलिसकर्मी (उन्हें छोड़कर जो अवकाश पर हैं) एच जी, डी ई ओ/आर ओ/ए आर ओ एवं उनके स्टाफ, नियंत्रण कक्ष स्टाफ विडियोग्राफरई ई एम टीम केस्टाफ/जेड ओ/एस ओ, बी एल ओ, एम ओ, चालक, क्लीनर, इत्यादि भी शामिल हैं (भारत निर्वाचन आयोग का पत्र सं 52/2012/एस डी आर दिनांक 01/11/2012) (v) अधिसूचित मतदाताएं, यदि कोई हो-
4	(क) 10.7 (ख) सी ई नियमावली 1961 का नियम 22, 30.	डाक मत पत्रों का प्ररूप एवं भाषा सभी वर्गों के लिए डाक मत-पत्रों का डिजाइन उभयनिष्ठ होगा।
5	(क) आर ओ एच बी पैरा 10.8 एवं	डाक मत-पत्रों की डिजाइन (पी बी)

	10.10 (ख) सी ई नियम, 1961 के नियम 22	(i) इसके प्रतिपर्णक इसके सिरे पर लगे होंगे। (ii) डाक मत-पत्र की डिजाइन, प्ररूप तथा भाषा के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश आर ओ एच वी के पैरा 10.8 पर दिए गए हैं। (iii) विधान सभा के उप-निर्वाचनों सहित निर्वाचन में इसे गुलाबी कागज पर मुद्रित किया जाएगा। लोक सभा के निर्वाचन (उप-निर्वाचन सहित) डाक मत-पत्र सफेद कागज पर मुद्रित किया जाएगा। (iv) पी बी की चौड़ाई 3" एवं 4" के बीच रहेगी। (v) एकल स्तंभ - 9 अभ्यर्थियों तक - अविभाज्य संख्या में अभ्यर्थियों अर्थात 11 अभ्यर्थियों के मामले में, प्रथम छह अभ्यर्थियों को प्रथम स्तंभ में प्रदर्शित किया जाएगा तथा शेष 5 को दूसरे स्तंभ में प्रदर्शित किया जाएगा तथा 12वें अभ्यर्थी के लिए दूसरे स्तंभ के आखिर काली जगह को पूर्णतया छायांकित किया जाएगा। (vi) अभ्यर्थियों के नामों को 3 श्रेणियों के अंतर्गत उसी क्रम से व्यवस्थित किया जाएगा जिनमें वे सूची (प्ररूप 7क) में प्रदर्शित होते हैं। श्रेणियों के शीर्षकों को पी बी में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। (vii) प्रतीकों को मुद्रित नहीं किया जाएगा। (viii) दल संबंधन, यदि कोई हो, को अभ्यर्थी के नाम के साथ मुद्रित किया जाएगा। (ix) दल संबंधी संबंधन को सभी राजनीतिक दलों (मान्यताप्राप्त तथा अमान्यताप्राप्त दोनों) द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। (x) निर्दलीय अभ्यर्थियों के लिए "इनडिपेंडेन्ट" शब्द अंग्रेजी में तथा "निर्दलीय" शब्द हिन्दी में मुद्रित किए जाएंगे। (xi) डाक मत पत्र का नमूना आर ओ पुस्तिका के अनुलग्नक XXV पर दिया गया है।
6	(क) आर ओ एच बी पैरा 10.8 (ख) सी ई नियम, 1961 के नियम 22	डाक मत पत्र की भाषा (i) प्रतिपर्णक अंग्रेजी में ही। (ii) अभ्यर्थियों की विशिष्टयां तथा दल संबंधी संबंधन हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में। हिंदी में विशिष्टयां अंग्रेजी में विशिष्टयों के ठीक ऊपर प्रदर्शित होगी। (iii) मत पत्र में निर्वाचन क्षेत्र तथा निर्वाचन अंग्रेजी में ही प्रदर्शित होगा। (iv)
7	(क) आर ओ एच बी पैरा 10.11	डाक मत पत्रों का मुद्रण (i) प्रथम चरण में, सेवा मतदाताओं के लिए डाक मत पत्रों का मुद्रण अभ्यर्थिता वापस लेने के अंतिम समय के 24 घंटों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। (ii) अन्य श्रेणियों के लिए इसे दूसरे चरण में तथा अभ्यर्थिता वापस लेने के 72 घंटों के भीतर मुद्रित किया जाना चाहिए। 50 मत पत्रों के बंडलों में सिलाई की जानी होगी। (iii) यह सुनिश्चित करना कि डाक मत-पत्र पर क्रम संख्यातथा इसके प्रतिपर्णक पर समान हैं। (iv) सभी विधानसभा तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पी बी का केन्द्रीकृत मुद्रण जिले के भीतर होगा। (v)
8	आर ओ एच बी पैरा 10.12	(i) डाक मत-पत्र नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने वाले वरिष्ठ अधिकारी के गहन पर्यवेक्षण में मुद्रित किया जाना होगा तथा पर्याप्त पूर्णरूपेण सुरक्षा व्यवस्थाएं की जानी होगी। यदि सरकार मुद्रणालय में संभव न हो तो निजी मुद्रणालय में मुद्रित किया जाना होगा। (ii)
9	(क) भारत निर्वाचन आयोग पत्र सं. 52/2012/एस डी आर दिनांक	रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप XII में अनुरोध प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्रशिक्षण के लिए बुलाए गए सभी कर्मचारियों के लिए पी बी तैयार करना होगा।

	13.8.2012 पैरा 2 (छ)	
	(ख) भारत निर्वाचन आयोग पत्र सं. 52/2012/एस डी आर/181-215 दिनांक 13.8.2012 पैरा 2 (च)	रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप XII में अनुरोध प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्रशिक्षण के लिए बुलाए गए सभी कर्मचारियों के लिए पी बी तैयार करना होगा।
	(ग) भारत निर्वाचन आयोग पत्र सं. 52/2012/एस डी आर/181-215 दिनांक 13.8.2012 पैरा 2 (च)	रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप XII में अनुरोध प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्रशिक्षण के लिए बुलाए गए सभी कर्मचारियों के लिए पी बी तैयार करना होगा।
10	(क) आर ओ एच बी पैरा 10.11 से 10.19 (ख) सी ई नियम, 1961 का नियम 23	सेवा निर्वाचकों को डाक मत-पत्रों के प्रेषण के लिए व्यवस्थाएं (i) सेवा निर्वाचकों के लिए पी बी जिला मुख्यालय से ही केन्द्रीय रूप से प्रेषित किया जाएगा। (ii) जिला निर्वाचन अधिकारी (डी ई ओ) पी बी को सेवा निर्वाचकों को प्रेषित करने की समग्र प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। (iii) डी ई ओ डाक विभाग के साथ यह सुनिश्चित करने हेतु समन्वय करेगा कि डाक विभाग के दल को उसी अवस्थान से पी बी वाले आवरण प्राप्त हो जाएं तथा मतपत्र अविलंब सही पते पर भेजा जाता हो। (iv) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-वार प्रेषित पी बी के ब्यौरे एक रजिस्टर में अनुरक्षित किए जाएंगे तथा डाक प्राधिकारियों के हस्ताक्षर रजिस्टर में प्राप्त किए जाएंगे। (v) रिटर्निंग अफीसर (आर ओ) सेवा निर्वाचनों के ब्यौरे के साथ ए आर ओ सहित अधिकारियों का एक दल प्रतिनियुक्त करेगा जिन्हें पी बी नामावली अंतिम भाग के आधार पर प्रेषित किए जाने हैं। (vi) सेवामतदाताओं जिन्होंने परोक्षी मतदान का विकल्प दिया है, को पी बी जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे मतदाताओं के सामने "सी एस बी" निशान निर्वाचन नामावली के आखिरी हिस्से में अंकित होगा। (vii) जिला मुख्यालय में उपलब्ध प्रेक्षकों में से एक प्रेषण की समग्र प्रक्रिया का व्यक्तिगत रूप सेअनुवीक्षण करेगा जो भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजेगा। (viii) समग्र प्रक्रिया की अवश्य ही विडियोग्राफिंग की जानी चाहिए। सेवा मतदाताओं को प्रेषण (रिटर्निंग अधिकारी पुस्तिका का अध्याय X तथा सी ई नियम का नियम 23) - (i) अग्रिम में - "पते लिखे आवरण तैयार करें (प्ररूप - 13-ख तथा 13-ग)", पूर्ण प्ररूप 13-घ (अर्थात् अनुदेश) तथा प्ररूप 13-क (अर्थात् घोषणा - पत्र) को तैयार रखना। (ii) मतपत्र के प्रतिपर्णक पर निर्वाचक की नामावली का भाग संख्या तथा क्रम संख्या प्रविष्ट करें। (iii) नामावली की अंकित प्रति में निर्वाचक की प्रविष्टि के सामने "डाक मत पत्र" अंकित करें। (iv) डाकमत-पत्रों की क्रम संख्या नामावली की अंकित प्रति में उल्लिखित नहीं की जाएगी। (v) मतपत्र की क्रम संख्या आवरण (प्ररूप 13-ख) जिसमें पी बी होगा, पर तथा प्ररूप 13-क (घोषणा पत्र) में दी गई जगह में भी सही ढंग से लिखी जानी होगी। (vi) महत्वपूर्ण- गणना के समय यदि पी बी संख्या मेल नहीं खाती हो तो उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाता है। (vii) प्ररूप 13-घ के भाग-II में गणना शुरू करने का समय तथा तारीख भरें। (viii) प्ररूप 13-बी में आवरण विधान सभा निर्वाचनों में गुलाबी रंग तथा लोक सभा निर्वाचन में हरे रंग में होंगा। तथापि, सेवा निर्वाचकों को पी बी निर्गत करने के लिए 13-ग में आवरण लोकसभा और विधान सभा, दोनों के निर्वाचनों के लिए पीले रंग में होंगे। (ix) प्ररूप 13-ख एवं 13-ग प्ररूप 13-क तथा प्ररूप 13-घ, यथा तैयार, सेवा

		मतदाता को संबोधित अपेक्षाकृत बड़े आवरण के भीतर रखे जाएंगे। (x) आवरणों पर पता/विशिष्टयां अवश्य ही स्पष्ट तथा समुचित होनी चाहिए। (xi) पी बी जारी किए जाने से पूर्व, रिटर्निंग आफिसरके प्रतिकृति हस्ताक्षर पर पी बी के पृष्ठभाग पर दो बार मुहर लगी होगी। (xii) मतदाताएं, जिन्हें पी बी जारी किए गए हों, किसी मतदान केन्द्र पर वैयक्तिक रूप से मत डालने के लिए पात्र नहीं होंगे। (xiii) उपर्युक्त वृहत्तर आवरण पर समुचित डाक मुहर लगी होनी चाहिए। (xiv) प्रत्येक सेवा मतदाता के लिए पति और पत्नी के भी मामले में पृथक वृहत्तर आवरण होगा। (xv) प्रत्येक अभिलेख कार्यालय से संबद्ध सेवा मतदाताओं को संबोधित सभी वृहत्तर आवरण को एक पैकेट के भीतर रखा जाएगा तथा इस पैकेट को अभिलेख कार्यालय को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ही प्रेषित किया जाएगा। (xvi) डाक विभाग को डाक मत पत्रों को संबंधित अभिलेख कार्यालयों को 48 घंटों के भीतर वितरण सुनिश्चित किया जाना होगा। (xvii) विदेश के सेवा मतदाताओं के लिए इन्हें साधारण हवाईमेल सेवा द्वारा प्रेषित किया जाएगा। (xviii) महिला मतदाता के मामले में प्ररूप 13 ग में आवरण पर "म" लिखें। (xix) अभ्यर्थिता वापस लेने के 48 घण्टों के भीतर प्रेषण प्रक्रिया पूरी की जानी होगी। (xx) मतदाताएं जिन्हें डाक मत पत्र जारी किए गए हैं, किसी मतदान केन्द्र पर वैयक्तिक रूप से मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे। (xxi) सेवा मतदाता की पत्नी के लिए डाक मत पत्र अलग आवरण में भेजा जाना चाहिए और न कि उनके पति को संबोधित आवरण में।
11	आर ओ एच बी पैरा 10.20 तथा 10.21	मत-पत्रों के प्रतिपर्णकों तथा नामावलियों की अंकित प्रति को सीलबंद करना (i) जारी किए गए डाकमत-पत्रों के प्रतिपर्णकों को रिटर्निंग आफिसर द्वारा एक पैकेट में सीलबंद किया जाएगा। (ii) सेवा मतदाताओं से संबंधित निर्वाचक नामावली को भी पृथक पैकेट में सीलबंद किया जाना होगा। (iii) इन दोनों पैकेटों को रिटर्निंग आफिसर की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए। (iv) इन दोनों पैकटों पर सीलबंद करने की तारीख के साथ अंतर्वस्तु का संक्षिप्त विवरण उल्लिखित होना चाहिए तथा इन्हें रिटर्निंग आफिसर की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए जिन्हें परिणाम की घोषणा के बाद सुरक्षित अभिरक्षा हेतु डी ई ओ को सौंप दिया जाएगा।
12	आर ओ एच बी पैरा 10.22 एवं 10.24	प्रेषण की विधि (i) जिला निर्वाचन अधिकारी को डाक प्राधिकारियों के साथ इस प्रकार समन्वय करना होगा कि डाक कर्मचारियों को डाक मत-पत्रों वाले लिफाफों को लेने हेतु प्रेषण केन्द्र भेजा जाएगा। (ii) डाक अधिकारी को इन पैकेटों को अत्यधिक प्राथमिकता के आधार पर अभिलेख कार्यालयों को अग्रेषित करना होगा।
13		सेवा मतदाताओं से मतदान किए गए डाक मत-पत्रों की वापसी:- (i) डाक द्वारा डाक मत पत्र वापस प्राप्त करने के लिए, डी ई ओ डाक विभाग के साथ यह व्यवस्था करेगा कि प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक डाक घर को नामित किया जाए जो रिटर्निंग आफिसर को प्रत्येक दिन पी बी का वितरण करेगा। (ii) वितरण का समय प्रतिदिन रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में 3बजे नियत किया जाएगा, सिवाय मतगणना दिवस के, जब वितरण प्रातः 8 बजे उस विधान सभा निर्वाचन केन्द्र के लिए मतगणना केन्द्र पर होगा। (iii) डी ई ओ द्वारा नामित डाक विभाग के कर्मचारी के लिए एक पास निर्गत किया जाना चाहिए ताकि वह इस प्रयोजनार्थ मतगणना के दिन मतगणना केन्द्र में प्रवेश

		कर सके।
14	सी ई नियम, 1961 के नियम 19 एवं 20 (1)	डाक द्वारा मतदान करने के संबंध में अन्य श्रेणियों के मतदाताओं द्वारा सूचित किया जाना (i) मतदान से न्यूनतम 10 दिन पहले प्ररूप 12 में विशेष मतदाता द्वारा (नियम 19) (ii) नियुक्ति/ड्यूटी के पत्र की अनुलिपि के साथ प्ररूप-12 में निर्वाचन ड्यूटी पर किसी निर्वाचक द्वारा (नियम 20 (1))।
15	सी ई नियम 1961 का नियम 21	निवारक निरोध के अधीन आने वाले निर्वाचकों द्वारा सूचित किया जाना (i) गृह विभाग निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख के बाद निम्नलिखित के बारे में 15 दिनों के भीतर आरओ को संसूचित करेगा- (क) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे सभी मतदाताओं के नाम एवं पते। (ख) संबंधित स्थान जहां उन्हें इस प्रकार रखा गया है। (ii) निर्वाचक नामावली में नाम, पता, भाग सं. एवं क्रम संख्या तथा निरोध स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए आर ओ को भी सूचित कर सकता है (iii) दोनों ही मामलों में, पी बी भेजने से पूर्व सुनिश्चित किया जाना होता है कि नाम नामावली में प्रविष्ट है और व्यक्ति निवारक निरोध के अधीन रखा गया है।
16	(क) भारत निर्वाचन आयोग पत्र सं. 52/2012/एस डी आर दिनांक 13.8.2012 (क) (ख) भारत निर्वाचन आयोग पत्र सं. 52/2012/एस डी आर दिनांक 13.8.2012 (ख) (ग)भारत निर्वाचन आयोग पत्र सं. 52/2012/एस डी आर दिनांक 13.8.2012 (ग) (घ) सीई नियम 1961 का नियम 23	अन्य श्रेणियों (सेवा मतदाताओं को छोड़कर) के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा डाक मत-पत्रों की तैयारी) (i) डाक मत पत्र जारी करने से पूर्व, आर ओ के प्रतिकृति हस्ताक्षर पर डाक मत पत्र के पृष्ठ भाग पर दो बार मुहर लगाई जाएगी। (ii) डाक मत पत्र को रजिस्टर्ड डाक से निम्नलिखित को भेजा जाएगा (यदि व्यक्तिगत रूप से वितरित न किया गया हो):- (क) विशेष मतदाताएं (ख) निवारक निरोध के अधीन आने वाले निर्वाचक। (ग) निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता (प्ररूप 12 में आवेदन देने पर) (iii) डाक मत पत्र के लिफाफे उसी प्रकार से तैयार किए जाएंगे जैसे कि सेवा मतदाताओं के मामले में किए जाते हैं, जिसमें निम्नलिखित निहित होंगे:- (क) प्ररूप 13-क (पी बी की क्रम संख्या भरी जानी होगी) में घोषणा। (ख) प्ररूप 13-ख में आवरण (जिसमें डाक मत पत्र निहित हो) (पी बी की क्रम संख्या सही ढ़ग से लिखी जानी होगी)।(अस्वीकृति का कारण, यदि पी बी की क्रम संख्या नहीं पाई जाएगी) (ग) प्ररूप 13-ग में आर ओ को संबोधित आवरण (डाक टिकट के बगैर) (घ) प्ररूप 13-घ में निर्वाचन के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश (मतगणना शुरू होने की तारीख तथा समय भरा जाना होगा) (iv) उपर्युक्त दस्तावेजों ((क) (ख) (ग) तथा (घ) पर) को एक बृहत्तर आवरण के भीतर रखा जाना होगा। इस आवरण पर सही ढंग से पता लिखा जाना चाहिए तथा डाक टिकट लगा होगा (यदि व्यक्तिगत से वितरित न किया गया हो) (v) डाक टिकटों को यथासंभव शीघ्र जारी किया जाना चाहिए। (vi) महिला मतदाता के मामले में प्ररूप 13-ग में आवरण पर "म" लिखें। (vii) सेवा मतदाताओं को छोड़कर अन्य श्रेणियों का पी बी जारी करने के लिए प्ररूप 13-ख तथा 13-ग में आवरण विधान सभा निर्वाचन में गुलाबी रंग के होंगे।
17	सी ई नियम, 1961 के नियम 22(2)	ई डी सी जारी करना (i) यदि कोई व्यक्ति उस मतदान केन्द्र पर जहां वह नामांकित है, निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण अपना मतदान करने में असमर्थ है, ऐसा व्यक्ति ई डी सी का पात्र है यदि वह उसी निर्वाचन-क्षेत्र में ड्यूटी पर है जहां वह मतदान के रूप में नामांकित है। (ii) प्ररूप 12-ख मे ई डी सी (iii) केवल प्ररूप 12-क में आवेदन पर ई डी सी

		(iv)	*ई डी सी धारकों को डाक मत पत्र नहीं जारी किया जाना है।*
		(v)	*निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात सभी व्यक्तियों को ई डी सी के बजाय डाक मत पत्र के लिए आवेदन करना है। कारण यह है कि कर्मचारियों को उनके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर ड्यूटी सौंपी जाती है और यह भी कि उन्हें आखिरी समय में ही अपनी ड्यूटी के स्थान के बारे में जानकारी मिलती है। एक और कारण यह है कि सुविधा केन्द्र में डाक मत पत्र जारी करना तथा डाक मत पत्र द्वारा मतदान करना अधिक सुविधाजनक तथा पारदर्शी होगा।*
18	**(क)** *भारत निर्वाचन आयोग सं.* 52/2012/*एस डी आर दिनांक* 13.8.2012 **(ख)** *भारत निर्वाचन आयोग सं.* 52/2013/*एस डी आर दिनांक* 26.03.2013 *जो सी ई ओ कर्नाटक को जारी किया गया तथा* **(ग)***भारत निर्वाचन आयोग सं.* 52/2013/*एस डी आर दिनांक* 18.06.2013, *सभी सी ई ओ के लिए*		*निर्वाचन ड्यूटी पर व्यक्तियों के लिए डाक मत पत्र का सुचारू प्रबंधन*
		(क)	*डाटाबेस तैयार करना-*
		(i)	*जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी विभागों/संस्थाओं को नामावलियों में सभी कर्मचारियों का नामांकन जांच के लिए कहा जाना चाहिए।*
		(ii)	*निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किए जाने के संभावित सभी व्यक्तियों का डाटाबेस समय रहते तैयार किया जाना चाहिए।*
		(iii)	*विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम एवं संख्या तथा मतदान केन्द्र का नाम, क्रम सं. भाग जहां व्यक्ति नामांकित है, के बारे मे अन्य सूचना के अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति का ई पी आई सी डाटाबेस में दर्ज किया जाना चाहिए।*
		(iv)	*सभी व्यक्तियों के सेलफोन नम्बर और ई-मेल आई डी, यदि कोई हो, एकत्र और डाटाबेस में भंडारित किए जाएंगे।*
		(v)	*इस डाटाबेस को तैयार करने के लिए साफ्टवेयर सी ई ओ द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।*
		(vi)	*डाटाबेस तैयार करने का कार्य* 31.08.2013 *तक पूरा किया जाना चाहिए।*
		(vii)	*डाटाबेस में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम एवं संख्या, मतदान केन्द्र के नाम एवं संख्या जहां व्यक्तियों को ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा, सुविधा केन्द्रों की अवस्थिति की सूचना दर्ज करने हेतु स्थान होने चाहिए।*
		(viii)	*सुविधा केन्द्र तथा प्रशिक्षण केन्द्र एक ही होगा। यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाना होगा तो सभी प्रशिक्षणों के बारे में सूचना को डाटाबेस में दर्ज करना चाहिए।*
		(ख)	*व्यक्ति की नामांकन स्थिति की डाटाबेस में जांच करना:-*
		(i)	*किसी व्यक्ति के नामांकन का ईपीआईसी/नाम/स्थान के आधार पर सी ई ओ की वेबसाइट पर प्रदत्तखोज सुविधा का इस्तेमाल करते हुए पता लगाया जा सकता है।*
		(ii)	*यह खोज* 30.09.2013 *तक पूर्ण की जानी चाहिए।*
		(ग)	*निर्वाचन नामावली प्रविष्टियों में सुधार-*
		(i)	*खोज के आधार पर, यदि नामावली में सुधार आवश्यक हो तो उपयुक्त प्ररूप भरवाया जाना चाहिए तथा यथोचित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए सुधार किया जाना चाहिए।*
		(ii)	*यदि व्यक्ति का नामांकन न हुआ हो या उसके मामूली निवासस्थान के सिवाय किसी स्थान पर नामांकित किया गया हो तो ई आर ओ मामूली निवास स्थान पर उसे नामांकन के लिए तत्काल उपाय करेगा।*
		(iii)	*उनका नामांकन एक बार ही किया जाना चाहिए और उनमें से सभी के पास ई पी आई सी होना चाहिए।*

(iv) *डी ई ओ को इसका दैनिक आधार पर अनुवीक्षण करना चाहिए।*

(v) *एक परिपत्र द्वारा सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि एक से अधिक स्थान पर नामांकन एक अपराध है तथा यह कि किसी व्यक्ति को उसके मामूली निवास स्थान पर ही नामांकित किया जाना चाहिए, उसके मूल निवास स्थान पर नहीं।*

(घ) *निर्वाचन ड्यूटी के कर्मचारियों का डाटाबेस*

(i) *डाटाबेस में न केवल राज्य सरकार बल्कि केन्द्रीय सरकार और केन्द्र सरकार और राज्य पी एस यू के सभी कर्मचारी भी सम्मिलित होने चाहिए।*

(ii) *डी ई ओ को उन सारे पात्र कर्मचारियों का डाटाबेस बनाना होता है जिन्हें निर्वाचन ड्यूटी पर लगाया जा सकता है अर्थात मतदान कार्मिक, सेक्टर अधिकारी, जेड एम, ए ई ओ, सूक्ष्म प्रेक्षक, नियंत्रण कक्ष/हेल्पलाइनके स्टाफ, वी एस टी/एफ एस टी/वीवीटी/एसएसटी/एकाउंटिंग टीम, संप्रेषण अनुवीक्षण दल, वेब कास्ट दल, बी एल ओ, विडियोग्राफर, एम सी सी दल इत्यादि,*

(ङ.) *पुलिसकर्मियों के लिए डाक मत पत्र*

(i) *सारे पुलिस बल, सिपाही से लेकर डीजीपी को आर पी अधिनियम* 1951*की धारा* 28*-क के तहत अधिसूचितकिया जाता है जैसे कि निर्वाचनअवधि के दौरान वे भारत निर्वाचन आयोगकी प्रतिनियुक्ति पर हों।*

(ii) *माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक* **22.08.2012** *के निर्णय के आधार पर सारे पुलिसकर्मियों, केवल उन्हें जो निर्वाचन अवधि के दौरान छुटटी पर हैं, को छोड़कर, ड्यूटी पर कार्मिक की भांति माने जाते हैं और इस तरह वे डाक मत पत्र के द्वारा मतदान करने के अधिकारी हैं।*

(च) *सभी पुलिसकर्मियों का डाटाबेस*

(i) *एस पी को सारे पुलिस पुलिसकर्मियों का डाटाबेस तैयार करना चाहिए (जिनमें निर्वाचन ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले होमगार्ड शामिल हैं)।*

(ii) *सारे पुलिसकर्मियों की नामांकन स्थिति को डाटाबेस में एकत्रित करना।*

(iii) *पूर्वभरे प्ररूप-***12** *पुलिसकर्मियों को उनके ड्यूटी आदेश के साथ या किसी अन्य साधन के जरिए निर्वाचन से कम से कम* **15** *दिनों पूर्व सुपुर्द किए जाएंगे।*

(iv) *पुलिसकर्मियों को डाक मत पत्र की सुविधा का फायदा उठाने हेतु प्ररूप-***12** *जमा करना है ताकि रिटर्निंग अधिकारी कम से कम सात दिनों या ऐसी ही छोटी-से छोटी अवधि तक पहुँचे जैसा रिटर्निंग अधिकारी मतदान से पहले अनुमति दे। (नियम* **20(1)** *के अंतर्गत)*

(v) *रिटर्निंग आफिसर सारे पुलिसकर्मियों को डाक मत पत्र जारी करेगा जिसका प्ररूप-***12** *एस पी के माध्यम से समय पर प्राप्त किया जाता है। यह मतदान ड्यूटी पर पुलिस अधिकारी के प्रशिक्षण के साथ संयोजित किया जा सकता है।*

(vi) *एस पी को पुलिस अधिकारियों के लिए डाक मत पत्र का मतदान करने हेतु एक विशेष सुविधा कैंपआयोजित करना चाहिए।*

(vii) *सुविधा कैम्प में प्ररूप* **13** *क में घोषणा के अनुप्रमाणन के लिए एक राजपत्रित अधिकारी।*

(viii) *जारी किए गए डाक मत पत्र के सही लेखा-जोखा के लिए रजिस्टर।*

(ix) *एक मतदान पेटी सुविधा केन्द्र पर रखी जाएगी और पुलिस आफिसर जिन्हें डाक मत पत्र जारी किए गए हैं, द्वारा डाक मत पत्र को अंकित कर इस पेटी में जमा किया जाना चाहिए।*

(छ) *निर्वाचन ड्यूटी के वाहन के ड्राइवर, संवाहक और क्लीनर का डाटाबेस*

(i) *ड्राइवर, संवाहक और क्लीनर का डाटाबेस यातायात के ओ आई सी के द्वारा बनाएजाएंगे जो उनके नामांकन के बारे में प्राइवेट वाहनों के मालिकों के माध्यम से प्राप्त करेगा। (बस, ट्रक, मिनीबस, टैक्सी इत्यादि)*

(ii) *वाहनों के मालिको को अनुदेश दिए जाने चाहिए कि वे वाहनों के ड्राइवर, संवाहकों और क्लीनर्स को कहें कि वे अपने साथ अपने ई पी आई सी लेकर आएं जब वे ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करें।*

(iii) *निर्वाचक की खोज की प्रक्रिया में एक सुप्रशिक्षित अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए।*

(iv) *ड्राइवर/संवाहक आदि के संदर्भ में पूर्ण पता, और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, पी एस, सं. और नाम जहां वह नामांकित है,ई पी आई सी संख्या एक रजिस्टर में प्रविष्ट होनी चाहिए। ओ आई सी खोज सुविधा का प्रयोग कर सकता है।*

(v) *ओ आई सी ड्राइवरों/क्लीनरों/संवाहकों का हस्ताक्षर प्ररूप-12 में प्राप्त करेगा और रिटर्निंग आफिसर (आर ओ) को मतदान से कम से कम 7 दिन पहले भेज देगा।*

(ज) *पूर्व भरे गए प्ररूप-12 जारी करना और हस्ताक्षरित प्ररूप-12 का एकत्रीकरण*

(i) *निर्वाचक के नाम, सं. और ए सी के नाम, सं. और पी एस के नाम और क्रम संख्या की सूचना जहां व्यक्ति नामांकित किया जाता है के साथ पूर्वभरे गए प्ररूप नियुक्ति आदेश के साथ सारे व्यक्तियों को भेज दिए जाने चाहिए।*

(ii) *पूर्व भरे गए प्ररूप-12 कार्मिकों के डाटाबेस से सी ई ओ द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर द्वारा मुद्रित किये जा सकते हैं।कंप्यूटर,लेजर प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन के साथ लघु सेल।*

(iii) *प्ररूप-12 के अंत में एक नोट मुद्रित होना चाहिए कि कार्मिक को इसकी जाँच करनी चाहिए और सुधार करना चाहिए, यदि कोई हो।*

(iv) *पुलिसकर्मियों के लिए- डी सी पी/एस पी पूर्व भरे गए प्ररूप-12 वितरित करने और सम्यक रूप से भरे हुए और हस्ताक्षरित प्ररूप-12 के एकत्रीकरण की व्यवस्था करेंगे।*

(v) *निर्वाचन ड्यूटी पर ड्राइवरों/संवाहकों/क्लीनरों के लिए- ओआईसी, यातायात पूर्व भरे गए प्ररूप 12 वितरित करेंगे और पूर्ण रुप से भरे गए एवं हस्ताक्षरित प्ररुप 12 के एकत्रीकरण की व्यवस्था करेंगे।*

(vi) *सम्यक रूप से भरे और हस्ताक्षित प्ररूप-12 डी ई ओ द्वारा नियुक्तमतदान ड्यूटी पर नोडल आफिसर के द्वाराअभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के पहले।कार्मिक से एकत्र किये जाने चाहिए फिर भी, किसी कारण से प्ररूप-12 इस तिथि के बाद भी एकत्र किया जा सकता है।*

(झ) *निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों को डाक मत पत्र जारी करना*

(i) *रिटर्निंग अधिकारी को सारे कार्मिकों जो प्रशिक्षण के लिए बुलाए जाते हैंऔर सारे पुलिसकर्मियों के लिए, भरे हुए प्ररूप-12 उचित रूप से हस्ताक्षरित प्राप्त करने की आशा में डाक मत पत्र तैयार करना चाहिए ।*

(ii) *रिटर्निंग अधिकारी को ऐसे सभी ड्राइवरों/संवाहकों/क्लीनरों के लिए डाक मत पत्र तैयार करना चाहिए जिनका उचित रूप से हस्ताक्षित प्ररूप-12 ओ आई सी, यातायात के माध्यम से प्राप्त होता है।*

(iii) *सारे कार्मिक जिनमे पुलिसकर्मी और ड्राइवर आदि सम्मिलित हैं, डाक मतदान की सुविधा के उददेश्य से प्रशिक्षण के लिए कम से कम एक बार बुलाएजाएंगे।*

(iv) *ड्राइवरों आदि के लिए डाक मत पत्र के मतदान की सुविधा मतदान दलों के भेजे जाने से एक दिन पहले दी जा सकती है।*

(v) *पुलिसकर्मियों के लिए डाक मत पत्र के मतदान के लिए सुविधा डीसीपी/एस पी द्वारा आयोजित विशेष सुविधा कैंप तथा सभी प्रशिक्षणों के दौरान दी जाएगी।*

(vi) *यदि कर्मचारियों के लिए एक से ज्यादा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं तो डाक मतदान की सुविधा प्रत्येक सत्र में दी जानी चाहिए।*

(vii) *रिटर्निंग अधिकारी व्यक्तियों जो मतदान ड्यूटी पर हैं, को पी बी की सुपुर्दगी के*

लिए प्रत्येक सुविधा केन्द्र के लिए एक अधिकारी प्रतिनियुक्त करेगा।

(viii) तैयार डाक मत पत्र इन अधिकारियों को अग्रिम में देना चाहिए ताकि मतदान ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों से ज्योही उचित रूप से हस्ताक्षित और भरा हुआ प्ररूप-12 प्राप्त हो, उन्हें डाक मत पत्र सुपुर्द किया जा सके।

(ix) अधिकारी उसके द्वारा प्राप्त और जारी डाक मत पत्र का लेखा-जोखा रखने के लिए एक रजिस्टर का रखरखाव करेगा।

(x) अधिकारी संबंधित मतदाता की पहचान की जांच करने के बाद जो ई पी आई सी या कोई और फोटो आइ डी पर आधारित होगा, डाक मत पत्र जारी करेगा।

(xi) उन व्यक्तियों जिन्हें डाक मत पत्र जारी किया जाता है का हस्ताक्षर उसी फार्मेट में जैसा कि प्ररूप-17ए में है रजिस्टर में अवश्य ही प्राप्त किया जाएगा।

(xii) सारे बिना जारी डाक मत पत्र, जब प्रशिक्षण पूरे हो जाते हैं, सीलबंद कवर में उचित रिकार्ड के साथ रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा रखे जाऐंगे।

(xiii) कर्मचारी साधारणतया अपने जिले से बाहर मतदान ड्यूटी के लिए नहीं भेजे जाते हैं, फिर भी यदि यह जरूरी हो जाता है कि एक डाक मत पत्र को जिले से बाहर एक सुविधा केन्द्र भेजा जाए तो डी इ ओ दूसरे जिला के डीइओ से समन्वय करेगा।

(ञ) सुविधा केन्द्र (एफ सी) पर क्रियाविधि

(i) डी इ ओ प्रत्येक सुविधा केन्द्र पर डाक मत पत्र के ओ आई सी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करेगा।

(ii) सारे मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को सुविधा केन्द्र पर डाक मतदात की सुविधा की समय-सारणी के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। उन्हें अनुमति दी जाएगी कि वे अपने प्रतिनिधियों को सुविधा क्रियाविधि को साक्ष्य-स्वरूप देखने के लिए भेजें।

(iii) प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में, जब प्रशिक्षण पूरा हो गया हो, डाक मतदान की सुविधा के लिए कम से कम दो घंटे अवश्य ही अलग कर लिए जाएंगे।

(iv) अभ्यर्थियों को बैठने और सुविधा की प्रक्रिया देखने हेतु क्रियाविधि में बिना व्यवधान के व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सुविधा की क्रियाविधि में व्यवधान पैदा करता है, तो सुविधा केन्द्र का ओ आई सी इस तरह के व्यक्ति को अहाते को तत्काल छोड़ने का आदेश दे सकता है।

(v) कर्मचारियों द्वारा पूर्ण गुप्तता में डाक मत पत्र अंकित करने के लिए मतदान कक्ष (जैसा कि एक मतदान केन्द्र में) प्रत्येक एफ सी में बनाए जाएंगे। गोंद का इंतजाम भी लिफाफों को मुहरबंद करने के लिए किया जाएगा।

(vi) डी इ ओ द्वारा प्रत्येक एफ सी पर प्ररूप-13ए की उद्घोषणा को प्रमाणित करने लिए जो मतदाता के पहचान संबंधी दस्तावेजों द्वारा उसकी पहचान पर आधारित होगा, कम से कम एक राजपत्रित अधिकारी ड्यूटी पर जरूर रखे जाएंगे।

(ट) डाक मतदान की क्रियाविधि-

(i) डाक मत पत्र प्राप्त करने के बाद मतदाता मतदान कक्ष में जाएगा और गुप्तता में डाक मत पत्र अंकित करेगा। वह तब अंकित डाक मत पत्र अंदर के लिफाफे में रखेगा (प्ररूप 13ख) और उचित रूप से सील करेगा।

(ii) मतदाता तब प्ररूप-13ए में उदघोषणा पर हस्ताक्षर करेगा और इसे एक राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराएगा। वह डाक मत पत्र पत्र की क्रम संख्या लिखेगा, यदि यह पहले ही प्ररूप-13ए में भरा नहीं हो।

(iii) वह तब अंदर वाला लिफाफा रखेगा (प्ररूप-13ख) और हस्ताक्षित और प्रमाणित उदघोषणा प्ररूप 13ए में बाहरी लिफाफे में (प्ररूप 13सी) रखेगा और इसे भी मुहरबंद कर देगा। मतदाता तब सुविधा मत पेटी में अपने पी बी का मतदान करेगा।

(iv) एक बड़ा स्टील का संदूक जिसके उपर एक खुली जगह पी बी का मतदान करने के लिए होगी, का सुविधा मत पेटी के रूप के प्रयोग किया जाएगा। पी बी मतदान करने से पहले, खाली सुविधा मत पेटी सारे उपस्थित लोगों को दिखाया जाएगा। सुविधा मत पेटी को तब एफ सी के ओ आई सी द्वारासीलबंद किया जाएगा।

प्रत्येक मतदाता अपना डाक मत पत्र इसे अंकित करने और लिफाफों में सील करने के बाद सुविधा मत पेटी में डालेगा।

(ठ) *डाक मत पत्रों को छांटना*

(i) *दिनभर के लिए सारे डाक मत पत्र के मतदान के बाद पेटी सुविधा केन्द्र के ओ आई सी द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी। सारे डाक मत पत्र को पेटी से निकाला जाएगा और रिक्त पेटी दिखायी जाएगी। पी बी लिफाफों की छंटनी की जायेगी और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्राप्त डाक मत पत्र लिफाफों की संख्या विहित फार्मेट में एक रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएगी।*

(ii) *राजनीतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाएगा। प्रासंगिक पृष्ठों की एक प्रति उन्हें दी जाएगी।*

(iii) *एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सारे डाक मत पत्र लिफाफे एक बड़े लिफाफे में रखे जांएगे। सुविधा केन्द्र का नाम, सुविधा की तिथि, उनमें निहित डाक मत पत्र की संख्या और निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिफाफे पर स्पष्टतया लिखा जाएगा।*

(iv) *यह लिफाफा तब संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास रजिस्टर के प्रांसगिक पृष्ठों की प्रति के साथ विशेष संदेशवाहक के जरिए भेजा जाएगा जो रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा इस उददेश्य के लिए नियुक्त हो तथा नायब तहसीलदार से नीचे स्तर का नहीं हो।*

(ड) *विडियोग्राफी- डाक मतदान की समस्त क्रियाविधि की विडियोग्राफी की जाएगी।*

(ढ) *सुविधा केन्द्र की क्रियाविधि का अनुवीक्षण-*

(i) *एफ सी का ओ आई सी फार्मेट-2 में प्रत्येक दिन की विवरणी बनाएगा जब डाक मत पत्र की सुविधा दी जाती है और इसे डी ई ओ को प्रतिदिन भेजेगा जब तक कि सुविधा पूरी नहीं होती है।*

(ii) *संकलित दैनिक विवरणी डी ई ओ द्वारा सी ई ओ के पास भेजी जाएगी जो फार्मेट में समस्त राज्य की संकलित विवरणी भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिदिन भेजेगा, जब तक कि डाक मत पत्र की सुविधा राज्य में समाप्त न हो।*

(iii) *सी ई ओ फार्मेट में प्रतिदिन विवरणी की प्रति भी सारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भेजेगा।*

(ण) *सुविधा केन्द्र से प्राप्त डाक मत पत्र का भंडारण- रिटर्निंग आफिसर रजिस्टर के प्रासंगिक पृष्ठों की प्रति के साथ डाक मत पत्र वाला लिफाफा एक विशेष स्ट्रांग रूम में रखेगा जो विशेषकर इसी प्रयोजनार्थ निर्मित हों।*

(त)
भारत निर्वाचन आयोग संख्या
52/2013/*एस डी आर तिथि*.
5.7.2013

डाक मत पत्र का मतदान ड्यूटी पर कार्मिकों के द्वारा अनुवीक्षण किए जाने के लिए फार्मेट की सूचना देना

(i)*मतदान ड्यूटी पर कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए जिलावार ब्योरों के साथ पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट अर्थात प्रत्येक माह के* 5*वें और* 20*वें दिन भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।*

(ii)*निम्नलिखित की स्थिति दर्शाता हुआ फार्मेट*(i)*कर्मचारियों की कुल संख्या*(ii)*डाटाबेस में कर्मचारियों की संख्या*(iii)*कर्मचारियों की संख्या जिनका ई आर और ई पी आई सी विवरण ज्ञात है*(iv)*कर्मचारियों की संख्या जिनके नाम ई आर में नहीं हैं।* (v)*कर्मचारियों जिन्होंने प्ररूप-*12 *भरा है*(vi)*कर्मचारियों की संख्या जिन्हें डाक मत पत्र जारी किया गया*(vii)*कर्मचारियों की संख्या जो डाक मत पत्र सुविधा केन्द्र पर डालते हैं।*

(iii)*उपरोक्त बिंदुओं पर मतदान ड्यूटी पर कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए सूचना दी जानी है।*

(थ) *डाक मत पत्र की डाक द्वारा प्राप्ति*

(i) *डाक द्वारा डाक मत पत्र वापस प्राप्त करने के लिए, डाक विभाग को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक डाक घर नामित करने के लिए कहा जाएगा जो प्रत्येक दिन आर ओ को डाक मत पत्र सुपुर्द करेगा।*

(ii) *रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में सुपुर्दगी का समय प्रत्येक दिन 3 बजे अपराह्न तय किया जाएगा, केवल मतगणना के दिन को छोड़कर, जब सुपुर्दगी का समय मतगणना केन्द्र पर प्रातः 8 बजे होगा।*

(iii) *मतगणना केन्द्रों की सूची और रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय का पता डाक विभाग को सी ई ओ और डी ई ओ द्वारा लिखित रूप संप्रेषित किया जाएगा।*

(iv) *सारे मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा कि वे या उनके प्रतिनिधि डाक घर के द्वारा डाक मत पत्र की सुपुर्दगी के समय उपस्थित रह सकते हैं।*

(v) *डाकघर के द्वारा सुपुर्द डाक मत पत्र लिफाफे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अभ्यर्थियों की उपस्थिति में गिने जाएंगे।*

(vi) *नामित डाक विभाग को एक पास जारी किया जाना चाहिए ताकि वे मतगणना वाले दिन मतगणना केन्द्र पर इस उददेश्य से प्रवेश कर सकें।*

(द) *डाक द्वारा डाक मत पत्र प्राप्त करने की क्रियाविधि*

(i) *प्राप्त डाक मत पत्र की संख्या की पावती डाकघर को दी जाएगी।*

(ii) *रिटर्निंग अधिकारी के रिकार्ड में पावती की प्रतिलिपि रखी जाएगी।*

(iii) *प्राप्त डाक मत पत्र की संख्या रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा फार्मेट-1 में दैनिक विवरणी में प्रविष्ट कराई जाएगी।*

(iv) *रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रेक्षक को दैनिक सूचना देनी होगी जब वह मतदान किये गए डाक मत पत्र प्राप्त करना आरंभ करता है जो इस तरह के मतदान किए गए डाक मत पत्र की संचयी संख्या को निर्दिष्ट करता है।*

(v) *समूची क्रियाविधि की विडियोग्राफी की जाएगी।*

(ध) *डाक द्वारा प्राप्त डाक मत पत्रों का भंडारण- रिटर्निंग अधिकारी डाकघर से प्राप्त सारे डाक मत पत्र प्रतिदिन विलग लिफाफे में उस दिन के लिए रखेगा और उस लिफाफे पर तिथि और शब्द लिखेगा"डाक द्वारा प्राप्त डाक मत पत्र"।वह इस लिफाफे को भी डाक प्राप्त होने के बाद प्रतिदिन डाक मत पत्र के लिए स्ट्राँग रूम में रखेगा।*

(न) *डाक विभाग की भूमिका*

(i) *राज्य, जिला और निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना।*

(ii) *रिटर्निंग अधिकारी का पूर्व भुगतान खाता पहले से ही खोलना ताकि डाक मत पत्र की सुपुर्दगी सुनिश्चित हो।*

(iii) *रिटर्निंग अधिकारी से सेवा मतदाता के डाक मत पत्र का एकत्रीकरण और इसकी समय पर सुपुर्दगी।*

(iv) *डाक मत पत्र की प्रतिदिन 3.00 बजे अपराहन में और मतगणना के दिन मतगणना के आरंभ होने से पहले सुपुर्दगी।*

(v) *सुपुर्दगी रिकार्ड रखना।*

(प) *दैनिक विवरणी से अनुवीक्षण*

(i) *रिटर्निंग अधिकारी सुविधा समाप्त होने तक जांच करने हेतु सुविधा केन्द्र से फार्मेट-3 में प्राप्त डाक मत पत्र की एक दैनिक विवरणी बनाएगा। वहमतगणना के दिन तक डाक द्वारा प्राप्त डाक मत पत्र की संख्या भी फार्मेट-3 तथा फार्मेट-4 में प्रविष्ट करेगा।*

(ii) *रिटर्निंग अधिकारी डी ई ओ के माध्यम से सी ई ओ को प्रतिदिनएक फार्मेट-3 की प्रति भेजेगा। वह फार्मेट-3 और फार्मेट-4 की प्रतियां सारे उम्मीदवारों को भी भेजेगा।*

(iii) *राज्य की संकलित सूचना फार्मेट-3, फार्मेट-4 और फार्मेट-5 में प्रतिदिन भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। संकलित विवरणी की प्रतिलिपि सारे मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को भी सी ई ओ के द्वारा भेजी जाएगी।*

(फ) *डाक मत पत्र मतगणना केन्द्र में भेजना*

(i) *जहां मतगणना आर ओ मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर की जाती हो वहां डाक मत पत्र उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए डाक मत पत्र के दूसरे स्ट्रांग रूम में मतगणना के एक दिन पूर्व अंतरित किए जाएंगे।*

		(ii) इस उददेश्य से, रिटर्निंग अधिकारी लिखित रूप से उम्मीदवारों को समय के बारे में सूचित करेगा जब ऐसा किया जाएगा। डाक मत पत्र के लिए स्ट्रांग रूम उपस्थित अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला जाएगा। (iii) सभी डाक मत पत्र को तत्पश्चात् स्टील के बक्से में रखा जाएगा जिसे अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सीलबंद किया जाना होगा। (iv) इस बक्से को तब मतगणना केन्द्र में डाक मत पत्र के लिए सशस्त्र सी पी एफ की सुरक्षा में स्ट्रांग रूम ले जाया जाएगा। अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों को डाक मत पत्र ले जा रहे वाहन के पीछे जाने की अनुमति दी जाएगी। (v) तत्पश्चात बक्से को अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतगणना केन्द्र में डाक मत पत्र के लिए स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। उसके बाद, स्ट्रांग रूम को सीलबंद कर दिया जाएगा तथा अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। (vi) अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों को स्ट्रांग रूम पर निगरानी रखने की अनुमति दी जाएगी जिसके लिए उन्हें डी ई ओ द्वारा समुचित सुविधाएं दी जाएंगी। (vii) सारी प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जाएगी। (viii) मतगणना के दिन, रिटर्निंग अधिकारी स्ट्रांग रूम खोलेगा तथा सभी डाक मत पत्र तथा सुविधा केन्द्रों के प्रासंगिक पृष्ठों की प्रतियां मेज पर लाएगा जहां डाक मत पत्र की गणना की जाएगी।
		(ब) मतगणना से पूर्व डाक मत पत्र की संख्या का मिलान करना- (i) सुविधा केन्द्र से प्राप्त लिफाफों को एक-एक करके खोला जाएगा तथा प्रत्येक लिफाफे में पाए गए डाक मत पत्र की संख्या का सुविधा केन्द्रों से प्राप्त रजिस्टरों के प्रांसगिक पृष्ठों की प्रतियों में उल्लिखित संख्या के साथ मिलान किया जाएगा। (ii) ऐसे मिलान का परिणाम डाक मत पत्र की गणना से पूर्व अभ्यर्थियों/निर्वाचन एजेन्टों को प्रदर्शित किया जाएगा। (iii) उसी प्रकार, डाक से प्राप्त डाक मत पत्र का रजिस्टर भी अभ्यर्थियों/निर्वाचन एजेंटों को दिखाया जाएगा।
	सी ई नियम 1961 के नियम 20(2) तथा 23	**(भ)** नामावली तथा डाक मत पत्र और ई डी सी की निशान लगी प्रति (i) नामावली की निशान लगी प्रति में "ई डी सी" अथवा "डाक मत पत्र" को ऐसे निर्वाचक के नाम के सामने लाल स्याही से अंकित किया जाएगा। (ii) किसी भी दशा में मास्टर कॉपी के रूप में केवल एक अंकित प्रति का इस्तेमाल डाक मत पत्र जारी करने के लिए किया जाएगा ताकि गलती से बचा जा सके। (iii) नामावली की अंकित प्रति में डाक मत पत्र की क्रम संख्या का उल्लेख नहीं किया जाना है। (iv) प्रतिपर्णकों को एक अलग पैकेट में सीलबंद किया जाना चाहिए तथा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए। (v) "डाक मत पत्र" अथवा "ई डी सी" अंकित करने के बाद, सभी मामलों में निर्वाचक नामावली की अंकित प्रति सीलबंद की जा सकती है तथा इसे मतदान केन्द्र पर इस्तेमाल हेतु संबंधित पीठासीन अधिकारी को दिया जाएगा।
19	पैरा 10.51 आर ओ एच बी	डाक मत पत्रों का रजिस्टर (i) सभी श्रेणियों को जारी किए गए तथा वापस प्राप्त डाक मत पत्र का अभिलेख रखने के लिए एक अलग रजिस्टर। (ii) निर्वाचकों जिन्हें डाक मत पत्र जारी किए जाते हैं तथा श्रेणियों के नाम अर्थात सेवा मतदाता, विशेष मतदाता, निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाताएं तथा निवारक निरोध के अधीन मतदाताएं रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। (iii) वापस प्राप्त डाक मत पत्र का अभिलेख भी रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए जिसमें निर्दिष्ट किया गया हो कि प्रत्येक श्रेणी में कितने डाक मत पत्र समय पर प्राप्त हुए तथा कितने देरी से प्राप्त हुए।

20	(क) आर ओ एच बी पैरा 10.53 (ख) नियम 1961 का नियम 26	II. दूसरे मतपत्र सेट की आपूर्ति (i) संबंधित पत्रों के साथ दूसरे डाक पत्र तभी जारी किए जा सकेंगे यदि- (क) ये अवितरित वापस आ गए हों। (ख) निर्वाचक ने अनजाने में इसे अथवा इससे संबद्ध पत्र को इस तरीके से खराब कर दिया हो कि इसका इस्तेमाल न किया जा सकता हो। (ii) रिटर्निंग अधिकारी इस प्रकार वापस प्राप्त खराब हुए मतपत्रों को रदद कर सकता है, उन्हें पैकेट में सीलबंद कर सकता है तथा डाक मत पत्र की क्रम सं. नोट कर सकता है।
		डाक मत पत्र की गणना (i) रिटर्निंग अधिकारी को पहले डाक मत-पत्रों की देखरेख करनी है तथा उसके 30 मिनट के बाद ईवीएम की गणना शुरू करनी है। (ii) समय पर प्राप्त डाक मत पत्र को गणना में शामिल किया जाएगा। (iii) प्रथम चरण में- प्ररूप 13-ग में आवरण खोले जाएंगे तथा प्ररूप 13-क की संवीक्षा की जाएगी। (iv) यदि 13-क अलग से न प्राप्त हो अथवा 13-क गलत हो या अपूर्ण हो तो आवरण-क खोले बगैर इसे अस्वीकार कर दें। (v) यदि 13क तथा आवरण क अलग-अलग पाए जाते हों तो आवरण पर मत पत्र की क्रम संख्या का घोषणा के साथ मिलान करें। (vi) यदि क्रम संख्या मेल नहीं खाती हो या 13क या आवरण क पर नहीं पाई जाती हो तो इसे अस्वीकार कर दें। (vii) सही तथा गलत घोषणाओं एवं उनके संबंधित मतपत्र आवरणों को पृथक किया जाएगा। (viii) घोषणाओं को सीलबंद करने के बाद, आवरण-क में पी बी को गणना में शामिल किया जाएगा। (ix) दूसरे चरण में प्ररूप 13-ख (आवरण-क) खोला जाएगा तथा उसमें पाए जाने वाले डाक मत पत्र की संवीक्षा की जाएगी। (x) ई वी एम के आखिरी दौर से पहले (उपान्त्य दौर) की गणना रोक दी जाएगी यदि डाक मत पत्र गणना पूरी न हुई हो।
21	आर ओ एच बी पैरा 10.62	मतगणना की शुरूआत के बाद प्राप्त डाक मत पत्र (i) देरी से प्राप्त अर्थात मतगणना की शुरूआत के बाद प्राप्त डाक मत पत्र की गणना नहीं की जानी है और इसे अवश्य ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा। प्राप्ति की तारीख तथा समय आवरणों पर नोट किए जाएंगे। तथापि, ऐसे अस्वीकृत डाक मत पत्र को प्ररूप 20 तथा 21-ई में शामिल किया जाना है।